संख्या-92/2019/1342/26-3-2019

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 मार्च 2019

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत 07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना) के मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) व 53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3498/स0क0/लेखा-बजट/विभागीय कम्प्यूटरीकरण/2018-19 दिनांक-16.03.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना)-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में रू0-800.00 लाख-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) मद में रू0-500.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-1300.00 लाख (रू0 तेरह करोड मात्र) को अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम-102-समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन-03-वृद्धावस्था/किसान पेंशन-02-वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्यांश)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में उपलब्ध बचतों की धनराशि से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखाना/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30 मार्च 2018 तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2 का शासनादेश दिनांक-01 सितम्बर, 2018 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(8)-जिस मद से धनराशि पुनर्विनियोग की जा रही है उस मद में पुनः धनराशि की मांग नही की जायेगी।

(9-जिस मद में धनराशि अन्तरित की जा रही है, उस मद में धनराशि की उपलब्धता निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-277-शिक्षा-07-विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना)-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनविर्नियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनुसचिव।

पृ0संख्या-92/2019/1342/26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बी0एम0–9 (भाग–1)
पुर्नविनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर–158)

अनुदान संख्या–80– (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2018–19 (धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–102–समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन–03–वृद्धावस्था/किसान पेंशन–02–वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्यांश) मानक मद–20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	67500.00	5000.00	1900.00	1300.00	66200.00
	67500.00	5000.00	1900.00	1300.00	**66200.00**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखा शीर्षक (15 डिजिट कोड में)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्तविभाग द्वारा अनुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग(8+11)
7	8	9	10	11	12
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–277–शिक्षा–07–विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जातियों के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना)					1
31–सहायता अनुदान–सामान्य (वेतन)	16060.27	16860.27	800.00	800.00	16860.27
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	666.89	1166.89	500.00	500.00	1166.89
योग	**16727.16**	**18027.16**	**1300.00**	**1300.00**	**18027.16**

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:– स्तम्भ–1 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों से बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:– योजना/अधिष्ठान के कियान्वयन किये जाने के कारण।
(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या–आर0ई0–757/दस–2019 दिनांक 26 मार्च 2019

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(सतीश कुमार)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग।

पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव
अनुसचिव
वित्त विभाग।
हा0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृ0संख्या–92 / 2019 / 1342 (1) / 26–3–2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2– महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0इलहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–4 / वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 / 2, उ0प्र0 शासन।
6– निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सतीश कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http nic.in